<u>अवास समिति</u>

259 **आवास-समिति की नियुक्ति-** अध्यक्ष सदस्यों की आवश्यक सुविधा संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिए एक समिति नियुक्त करेंगे; जो आवास-समिति कहलाएगी; इसमें उतने सदस्य होंगे जितने अध्यक्ष आवश्यक समझें। समिति एक वर्ष तक या अगली समिति नियुक्त होने तक, जो भी बाद में हो, पद-धारण करेगी और विधान-सभा के सचिव इस समिति के पदेन सचिव होंगे; परन्तु आवास आवंटन का कार्य अध्यक्ष, विधान-सभा स्वयं करेंगे।